CHAPTER IX

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION MOTOR VEHICLES THIRD PARTY LIABILITY FUND

9.1. Definition.– In this chapter unless there is anything repugnant in the subject or the context–

(a) "Fund" means the fund established in the manner prescribed in Rule 151 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(b) "Undertaking" means the Rajasthan State Road Transport Corporation.

(c) "Corporation" means Rajasthan State Road Corporation established under section 3 of Rajasthan Road Transport Corporation Act.

(d) "Year" means the financial year.

9.2. Establishment of Fund.– The Corporation shall establish a fund in the manner as required by Rule 151 and 152 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 to meet any liability arising out of the use of any vehicle of the undertaking which the undertaking or any person in the employment of the undertaking may incur to Third Parties.

9.3. Withdrawal & Use of Fund.– The fund shall be withdrawn in accordance with the rule 157 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and shall be used generally for the meeting or Third Party Liabilities in respect of:–

(a) All claims including the claimanant's cost and expenses for which the Corporation shall become legally liable to pay, lodged against the Corporation in respect of:–

(i) death or bodily injury to any person or passenger caused by or arising out of the use including the loading and/or unloading of the motor vehicles;

(ii) damage to property caused by the use (including the loading and or unloading) of the Motor Vehicles;

(iii) any liability arising under the provisions of the Workman's Compensation Act 1923, in respect of the death of, or bodily injury to, any paid employee engaged in driving or otherwise in attendance or being carried in a Motor Vehicle;

(iv) payment of medical expenses in respect of treatment of bodily injury to any paid employee engaged in driving or otherwise in attendance of being carried in a motor vehicle;

(v) damage to property belonging to or held in trust, or in the custody or control of the corporation or any employee of the corporation or being conveyed by a Motor Vehicle.

(b) but shall not be used to meet:–

(i) liability in respect of death, injury or damage caused or arising out (sic) in connection with the bringing of the load to the Motor Vehicles for loading thereon or the taking away of the load from the motor vehicles after unloading therefrom;

अध्याय—9

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मोटरयान तृतीय-पक्षकार दायित्व निधि

9.1. परिभाषायें.— इस अध्याय में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) ***"निधि"*** से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 151 में विहित रीति से स्थापित निधि अभिप्रेत है।

(ख) ***"उपक्रम"*** से राजस्थान राज्य परिवहन निगम अभिप्रेत है।

(ग) ***"निगम"*** से राजस्थान पथ परिवहन निगम अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अभिप्रेत है।

(घ) ***"वर्ष"*** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

9.2. निधि की स्थापना.— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 151 तथा 152 द्वारा अपेक्षित रीति से निगम एक निधि की स्थापना, उपक्रम के किसी यान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले, ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिये करेगा, जिसे तृतीय–पक्षकार के प्रति उपक्रम या उपक्रम के नियोजन में के किसी व्यक्ति द्वारा उपगत की जाये।

9.3. निधि में से आहरण और उसका उपयोग.— निधि में से आहरण, केन्द्रीय मोटर यान नियम,1989 के नियम 157 के अनुसार किया जायेगा और उसका उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित के संबंध में तृतीय–पक्षकार दायित्वों को पूरा करने में किया जावेगा—

(क) निगम के विरुद्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में किये गये समस्त दावे, दावेदार के हर्जाना और खर्चे सहित, जिनके संदाय के लिये निगम विधिपूर्वक दायी होगा:-

(i) किसी व्यक्ति या यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति, जो मोटर यानों के उपयोग, मय सामान लादने और/या उतारने के, से कारित या उत्पन्न हुए हैं,

(ii) मोटर यान के उपयोग (मय लादने और/या उतारने के) से सम्पति को कारित नुकसान;

(iii) कोई दायित्व जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों के अधीन किसी ऐसे वैतनिक कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक क्षति के बारे में उत्पन्न हुआ हो, जो मोटर यान के चालन में नियुक्त था या अन्यथा या परिचर्या में था या मोटर यान में वहन किया जा रहा था;

(iv) किसी ऐसे वैतनिक कर्मचारी को हुई शारीरिक क्षति के उपचार के सम्बन्ध में हुए चिकित्सा व्यय का संदाय, जो मोटर यान चलाने में नियुक्त था या अन्यथा परिचर्या में था या मोटर यान में वहन किया जा रहा था;

(v) ऐसी सम्पति को नुकसान, जो निगम के स्वामित्व में थी या न्यास में धारित थी या निगम या निगम के किसी कर्मचारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में थी या मोटर यान में ले जायी जा रही थी।

(ख) किन्तु निम्नलिखित को पूरा करने के उपयोग में नहीं ली जायेगी:-

(i) मृत्यु, क्षति या नुकसान से सम्बन्धी दायित्व जो लदान को मोटर यान पर चढ़ाने के लिये लाने या मोटर यानों पर से उतार दिये जाने के बाद ले जाने के सम्बन्ध में कारित या उत्पन्न हुआ हो;

(ii) liability in respect of death or bodily injury to any person in the employment of the Corporation arising out of and in the course of such employment except so far is necessary to meet requirements of section 146 of Motor Vehicles Act.

(iii) the liability in respect of death or bodily injury to any person other than a passenger carried by reason of, or in pursuance of, a contract of employment being carried in or upon or entering or mounting or alighting from the motor vehicle at any time of the occurrence of the event out of which any claim arises except so far is necessary to meet requirements of section 146 of the Act.

(iv) the liability in respect of damage to any bridge and/or way bridge and/or viaduct and/or to any road and/or anything beneath by the vibration or by vibration or by the prescribed weight of the motor vehicle.

9.4. Procedure in case of accidents, etc.– (a) As soon as an accident takes place the driver of the vehicle or other official of the Corporation will lodge a report at the nearest Police Station where the details of accident shall be recorded by the Police in the prescribed Road Accident Report Form R.S. 9.1.

(b) The Local officer of the Corporation will send a report in duplicate in the Form R.S. 9.2 to the District Magistrate of the District in which the accident has occurred, and retain one copy of the report submitted to the District Magistrate in his own office for record and submit another copy to his Head office.

(c) The District Magistrate shall depute any executive Magistrate to make an enquiry into the accident and to draw the report recording all the facts connected with the accident. The Magistrate may seek the assistance of a representative of the Rajasthan State Transport Corporation and a Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector in charge of a Police Station.

(d) The Magistrate shall give his findings as to whether the Corporation (Rajasthan State Road Transport Corporation) is liable to pay any compensation or not and if he is satisfied that such liability is established then the amount of compensation is also to be mentioned. His report shall also state the amount claimed by the party involved in the accident, and compensation for injury, loss or damage to property will be recommended only on production of satisfactory proof of the accident and value of the loss or damage. The Magistrate shall also state as to whether the driver of the vehicle is to be held responsible for the accident and if so, to what extent the driver has been guilty for negligence, rashness, dereliction of duty or drunkenness etc.

(e) In making the inquiry, the Magistrate deputed by the District Magistrate shall allow the aggrieved party to represent his case at the time of the enquiry.

(f) It is of essence that all the enquiries in this behalf shall be completed as expeditiously as possible.

(g) On receipt of the Magistrate's report the District Magistrate will forward it, with his comments, to the General Manager, Rajasthan State Road Transport Corporation, and shall retain one copy of this report in the District Office for record.

(ii) निगम के नियोजन में किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के बारे में दायित्व, जो ऐसे नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न हुआ हो, सिवाय उसके जो मोटर यान अधिनियम की धारा 146 की शर्तों को पूरा करने के लिये आवश्यक हो;

(iii) यात्री से भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति, जो नियोजन की संविदा के कारण या उसके अनुसरण में, ऐसी घटना, जिससे कोई दावा उत्पन्न होता है, के होने के समय मोटर यानों में या उस पर ले जाया जा रहा हो या प्रवेश कर रहा हो, चढ़ रहा हो या उतर रहा हो, के बारे में दायित्व, सिवाय उसके जो अधिनियम की धारा 146 की शर्तों का पूरा करने के लिये आवश्यक हो;

(iv) किसी पुल और/या मार्ग–पुल और/या भूमि या घाटी के बीच के पुल और/या कोई सड़क और/या नीचे किसी वस्तु को कम्पन के द्वारा या मोटर यान के विहित वजन द्वारा या मोटर यान द्वारा ले जाये गये विहित लदान द्वारा हुए नुकसान के बारे में दायित्व।

9.4. दुर्घटना आदि के मामले में प्रक्रिया.– (क) ज्योंही कोई दुर्घटना होती है, यान का चालक या नियम का अन्य कर्मचारी निकटतम पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करेगा, जहां प्ररूप आर.एस. 9.1 में विहित सड़क–दुर्घटना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दुर्घटना का विवरण लेखबद्ध किया जायेगा।

(ख) निगम का स्थानीय अधिकारी प्ररूप आर.एस. 9.2 में, दो प्रतियों में, एक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जिससे जिले में दुर्घटना घटित हुई है और जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति अपने स्वयं के कार्यालय में रिकॉर्ड के लिये रखेगा और दूसरी प्रति अपने प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दुर्घटना की जांच करने और दुर्घटना से सम्बन्धित तथ्यों को लेखबद्ध करते हुए रिपोर्ट बनाने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा। मजिस्ट्रेट राजस्थान राज्य परिवहन निगम के प्रतिनिधि और किसी पुलिस अधिकारी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, की सहायता चाह सकेगा।

(घ) मजिस्ट्रेट इस बारे में अपना निष्कर्ष देगा कि क्या निगम (राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम) कोई प्रतिकार देने के लिये दायी है या नहीं और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा दायित्व सिद्ध हो गया है, तो प्रतिकर की राशि का भी उल्लेख किया जायेगा। उसकी रिपोर्ट में दुर्घटना में अन्तर्वलित पक्षकार द्वारा मांगी गई राशि भी बताई जायेगी और केवल दुर्घटना और हानि या नुकसान के मूल्य के सन्तोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही सम्पत्ति की हानि या नुकसान की अभिशंषा की जायेगी। मजिस्ट्रेट यह भी बताऐगा कि क्या दुर्घटना के लिये यान के चालक को उत्तरदायी ठहराना है, और यदि ऐसा हो, तो चालक किस सीमा तक उपेक्षा, उतावलेपन, कर्त्तव्य की अवहेलना या मत्तता आदि के लिये दोषी है।

(ङ) जांच करते समय जिला–मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व्यथित पक्षकार को अपना मामला जांच के समय प्रस्तुत करने की अनुमति देगा।

(च) यह सारतत्व की बात है कि इस निमित्त सब जाचें जितनी संम्भव हो उतनी शीघ्रता से पूरी की जायेगी।

(छ) मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला–मजिस्ट्रेट अपनी टिप्पणी सहित उसे, महा–प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अग्रेषित करेगा और जिला कार्यालय में अभिलेख के लिये इस रिपोर्ट की एक प्रति रख लेगा।

9.5. Settlement of Claims.– All claims lodged and/or established against undertaking and to be met out of the Fund, shall be settled as under:–

(a) The General Manager shall ordinarily accept the finding or the Magistrate on the question of the liability of the Undertaking to pay the compensation. The General Manager need not however accept the figure of amount of compensation fixed by the Magistrate. If a case can be compromised for a sum not exceeding Rs. 500/– he may sanction the amount and compound the case.

(b) When the sum sought to be paid as compensation exceeds Rs.500/ – or more and where the General Manager thinks in his opinion, the Magistrate's finding on the question of the liability of the Undertaking to pay compensation is not correct, a reference shall be made to the Corporation.

(c) Where the case involves the payment of a sum exceeding Rs.500/- it shall be considered by the Corporation in consultation with the Legal Remembrancer to the Government of Rajasthan, if necessary. Final sanction of the Government shall be obtained in such cases before making payment.

(d) Payments of awards under a decree or judgment of a Court in such cases shall be made in accordance with the directions of the Court. but any amount which shall have been paid by the Undertaking previously shall be deducted from such amounts.

9.6. No compensation shall be paid under these rules.– (1) When the party concerned is entitled to indemnity under any other Law.

(2) When the liability for death, injury, loss or damage arises out of conditions of War. Civil War, Riot or Civil Commotion or causes like flood; storm etc., beyond the control of the Undertaking.

(3) When the accident or loss or damage to property arises out of the violation of any rule or direction of the Undertaking or of the Traffic Regulations, by the party concerned.

(4) In exceptional cases, however, where the Corporation is satisfied that the question of liability cannot be clearly and distinctly determined and where serious hardship is involved to the victims of the accident, the Corporation may order an exgratia payment by way of compensation.

9.7. Budget provision.– The cost on account of any compensation awarded by the authorities prescribed in these Rules, shall be met out of the Fund for which provision shall be made in the budget of Undertaking.

9.8. Mode of payment.– (a) The Assistant Regional Manager of the Region concerned or the General Manager shall draw the amount of compensation from the State Bank of Bikaner and Jaipur quoting the number and date of the order of sanction for payment on the Contingent Bill Form attaching thereto an attested copy of the sanction.

(b) The payment of the compensation shall be made through the District Magistrate of the District in which the claimant resides and the District Magistrate making such payment shall obtain a receipt in full satisfaction of his claim.

9.5. दावों का निपटारा.— सभी दावे, जो उपक्रम के विरुद्ध और/या सिद्ध हो गये है और जिनकी पूर्ति निधि में की जानी है; निम्नलिखित रूप से निपटाने जायेंगे:—

(क) उपक्रम द्वारा प्रतिकर के भुगतान के दायित्व के प्रश्न पर महा–प्रबन्धक मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष को साधरणतया स्वीकार करेगा। महाप्रबन्धक द्वारा साधारणयता मजिस्ट्रेट द्वारा तय की गई प्रतिकर की राशि के अंक को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मामले को रुपये 500/– से अनधिक राशि के लिये उपशमित किया जा सकता है, तो वह राशि स्वीकृत कर सकेगा और केस का उपशमन कर लेगा।

(ख) जब प्रतिकार के रूप में भुगतान करना चाही गई राशि रु. 500/– या अधिक हो जाती है और जहां महाप्रबन्धक अपने अभिमत से यह सोचता है कि उपक्रम द्वारा प्रतिकर देने के दायित्व के प्रश्न पर मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष सही नहीं है, तो निगम को इसका रेफरेंस किया जायेगा।

(ग) जहां किसी मामले में रुपये 500/– से अधिक राशि का भुगतान अन्तर्वलित हो, तो इस पर निगम द्वारा, राजस्थान सरकार के विधि परामर्शी, यदि कोई हो, से परामर्श किया जायेगा। ऐसे मामलों में संदाय करने से पहले सरकार की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(घ) ऐसे मामलों में न्यायालय की डिक्री या निर्णय के अधीन अधिनिर्णयों के संदाय न्यायालय के निदेशों के अनुसार किये जायेंगे, परन्तु कोई राशि, जो उपक्रम द्वारा पहले दी जा चुकी है, ऐसी राशियों में से काट ली जायेगी।

9.6. इन नियमों के अधीन किसी प्रतिकर का संदाय नहीं किया जायेगा.— (1) जब सम्बन्धित पक्षकार किसी अन्य विधि के अधीन क्षति के लिये हकदार है।

(2) जहां मृत्यु, क्षति, हानि या नुकसान का दायित्व युद्ध, गृहयुद्ध, दंगे या सिविल हलचलों की दशाओं से उत्पन्न हुआ हो या उपक्रम के नियंत्रण के बाहर, जैसे बाढ़, तूफान आदि से कारित हुआ हो।

(3) जब दुर्घटना या हानि या सम्पति को नुकसान किसी नियम या उपक्रम के किसी निदेश या यातायात विनियम का सम्बन्धित पक्षकार द्वारा उल्लंघन करने से हुआ हो।

(4) आप्रवादिक मामलों में, तथापि, जहां निगम का यह समाधन हो जाता है कि दायित्व के प्रश्न का स्पष्ट रूप से और सुभिन्न रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता और दुर्घटना के शिकार लोगों को गम्भीर कठिनाई अन्तर्वलित हो, तो निगम प्रतिकर के रूप में सानुग्रह संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

9.7. बजट प्रावधान.— इन नियमों में विहित प्राधिकारियों द्वारा दिये गये किसी प्रतिकर के मद्दे हुए खर्चे का संदाय निधि में से किया जायेगा, जिसके लिये उपक्रम के बजट में प्रावधान किया जायेगा।

9.8. संदाय का तरीका.— (क) सम्बन्धित क्षेत्र का सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक या महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से, अन्य व्यय बिल प्ररूप पर संदाय के लिये स्वीकृति की संख्या और दिनांक उद्धृत करते हुए और उसके साथ स्वीकृति की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए, प्रतिकर की राशि आहरित करेगा।

(ख) प्रतिकर का संदाय उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के, जिसमें दावेदार निवास करता है, माध्यम से किया जायेगा, और जिला मजिस्ट्रेट ऐसा भुगतान करते समय एक रसीद उसके दावे के पूर्ण समाधान में प्राप्त करेगा।

9.9. Debiting of expenditure.– (a) All reasonable expenditures including legal fees and other allied expenses incurred on any or all of the purposes, mentioned in Rule R.S. 9.3. about shall be debited to this Fund.

(b) All legal and medical expenses etc. shall be incurred by the various authorities as under:–

(i) upto Rs. 50/– by the Assistant Regional Manager,

(ii) Rs. 51/– to Rs. 100/– by General Mangar,

(iii) Rs. 101/– and above but not exceeding Rs. 500/– by the Chairman of the Corporation,

(iv) Rs. 500/– and above by the Corporation with the sanction of the Government. Provided, however, that any amount incurred for immediate first-aid and other medical facilities etc. to any person involved in the accident, shall be reimbursed to the Undertaking from out of the compensation sanctioned to the party concerned.

9.10. Investment.– The Funds shall be invested in the manner prescribed in Rule 153 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

9.11. Security held as a deposit in the fund.– The security as deposit in the fund in the manner prescribed in Rule 154 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

9.12. Deposit procedure.– For this procedure rule 155 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, shall apply.

9.13. Interest Deposit.– Interest realised on each deposit or the security held in the fund shall be paid by the Bank to the authority.

9.14. Operation of the fund.– The fund shall be opened separately and the separate account shall be maintained in the Banks of the Undertaking.

9.15. Audit of the fund.– The audit of the account of the fund shall be made in the same manner as that of the other account of the undertaking except that yearly audited statement showing–

(a) the position of the fund at the beginning of the year:

(b) the contributions received by it during the year;

(c) the claims paid out of it during the year and the position of the fund at the end/and;

(d) the position of the investment of fund at the end of the year shall be furnished to the Corporation in the Form R.S. 9.3.

9.16. The decision of the Government shall be final in all matters connected with the fund.

9.17. The Government shall be competent to modify to make additions in these Rules and to frame any supplementary rules, found necessary for working of the Fund from time to time

9.9. व्यय का विकलन.— (क) सभी उचित खर्च, कानूनी फीस और अन्य सम्बन्धित खर्चे सहित जो किसी या सभी प्रयोजनों के लिये किये गये हैं और आर.एस. 9.3 में वर्णित है, निधि के नामे लिखे जायेंगे।

(ख) सभी कानूनी और चिकित्सकीय खर्चे आदि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित रूप से किये जायेंगे:—

(i) रु. 50/— तक सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा,

(ii) रु. 51/— से रु. 100/— तक महाप्रबन्धक द्वारा,

(iii) रु. 101/— और अधिक, किन्तु रु. 500/— से अधिक नहीं— निगम के अध्यक्ष द्वारा,

(iv) रु. 500/— और अधिक— सरकार की स्वीकृति के साथ निगम द्वारा,

परन्तु तथापि, दुर्घटना में ग्रसित व्यक्ति को तुरन्त प्राथमिक सहायता और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिये खर्च की गई किसी राशि को सम्बन्धित पक्षकार को स्वीकृत प्रतिकर में से उपक्रम को प्रतिपूरित किया जायेगा।

9.10. विनियोग.— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 153 में विहित तरीके से निधि का विनियोजन किया जायेगा।

9.11. प्रतिभूति को निधि में निक्षेप के रूप में धारित किया जायेगा.— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 154 में विहित तरीके से प्रतिभूति को निक्षेप के रूप में रखा जायेगा।

9.12. निक्षेप की प्रक्रिया.— इस प्रक्रिया के लिये केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 155 लागू होगा।

9.13. ब्याज का निक्षेप.— निधि द्वारा धारित प्रत्येक निक्षेप या प्रतिभूति पर वसूल किया गया ब्याज बैंक द्वारा प्राधिकारी को संदत्त किया जायेगा।

9.14. निधि का प्रचालन.— निधि के अलग से खोला जायेगा और उपक्रम के बैंकों में अलग से लेखा संधारित किया जायेगा।

9.15. निधि की संपरीक्षा.— निधि के लेखे की संपरीक्षा उसी तरीके से की जायेगी, जैसी कि उपक्रम के अन्य लेखों की की जाती है, सिवाय इसके कि वार्षिक संपरीक्षित विवरण—

(क) वर्ष के प्रारम्भ में निधि की स्थिति,

(ख) वर्ष के दौरान इसमें प्राप्त अंशदान;

(ग) वर्ष के भीतर इसमें से संदत्त दावे और अन्त में निधि की स्थिति, और

(घ) वर्ष के अन्त में निधि के विनियोजन की स्थिति,

दर्शाते हुए निगम को प्ररूप आर.एस. 9.3 में प्रस्तुत किया जायेगा।

9.16. निधि से सम्बधित सभी मामलों में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

9.17. सरकार इन नियमों में संशोधन व परिवर्द्धन करने के लिये और समय–समय पर निधि के कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक पाये गये, कोई पूरक नियमों को बनाने के लिये सक्षम होगी।